

## नज़ी संपत्तिके अधगिरहण पर सीमा

### प्रलिमिस के लयि:

[अनुच्छेद 39\(b\)](#) और [31C](#), [अनुच्छेद 300A](#), आर्थिक लोकतंत्र, समाजवाद, मूल अधिकार, जमींदारी प्रथा, संपत्तिका अधिकार, नौवीं अनुसूची, [अनुच्छेद 31A](#) और [31B](#), रैयतवाड़ी, नीतिनिर्देशक सिद्धांत, [अनुच्छेद 14](#) और [19](#), प्रथम संशोधन अधिनियम, 1951, [अनुच्छेद 368](#), [संविधान संशोधन, संसद](#)।

### मेन्स के लयि:

स्वतंत्रता के बाद से संपत्तिके अधिकार का विकास। संपत्तिके अधिकार को आकार देने में न्यायपालिका की भूमिका।

स्रोत: हदुस्तान टाइम्स

## चर्चा में क्यों?

हाल ही में प्रॉपर्टी ऑनर्स एसोसिएशन बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले, 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक वितरण हेतु नज़ी स्वामित्व वाले संसाधनों को अपने अधीन लेने की सरकार की शक्ति पर सीमाएँ निर्धारित की हैं।

- याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि संविधान के [अनुच्छेद 39\(b\)](#) और [31C](#) की संवैधानिक योजनाओं को आधार बनाकर राज्य द्वारा नज़ी संपत्तियों पर कब्जा नहीं किया जा सकता है।

### नोट:

- [अनुच्छेद 39\(b\)](#) में प्रावधान है कि राज्य का लक्ष्य सभी के हित में भौतिक संसाधनों का वितरण सुनिश्चित करना होना चाहिए।
- [अनुच्छेद 31C](#) के अनुसार, [अनुच्छेद 39\(b\)](#) और [39\(C\)](#) को समानता के अधिकार ([अनुच्छेद 14](#)) या [अनुच्छेद 19](#) के तहत अधिकारों (अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक एकत्र होने का अधिकार आदि) का हवाला देकर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

## सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मुख्य नषिकर्ष क्या हैं?

- नज़ी संसाधनों का अधगिरहण:** जो संसाधन दुर्लभ हैं या सामुदायिक कल्याण के लयि महत्त्वपूर्ण हैं, उन्हें राज्य अधगिरहण के लयि योग्य माना जाना चाहिए, न कि सभी नज़ी संपत्तियों को।
  - "सार्वजनिक ट्रस्ट सिद्धांत" (जहाँ राज्य द्वारा जनता के लयि कुछ संसाधनों को ट्रस्ट में रखा जाता है) सेइस निर्धारण का मार्गदर्शन हो सकता है।
- संसाधन योग्यता के लयि परीक्षण:** न्यायालय ने दो प्रमुख परीक्षण निर्धारित किये हैं अर्थात संसाधन "भौतिक" और "समुदाय से संबंधित" या उसका कल्याण करने वाले या दोनों होने चाहिए।
  - नज़ी स्वामित्व वाले संसाधन और उसके सामुदायिक तत्त्व की भौतिकता का मूल्यांकन वषियगत आधार पर किया जाना चाहिए।
    - भौतिकता से तात्पर्य भूमि, खनिज या जल जैसी परसंपत्तियों के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय गतिशीलता पर पड़ने वाले प्रभाव से है।
- रंगनाथ रेड्डी मामले, 1977 के वषिरित नरिणय:** बहुमत द्वारा [\[1977\] 2 SCR 1013](#), 1982 [\[1982\] 2 SCR 1013](#) पलट दिया गया, जसिमें [\[1977\] 2 SCR 1013](#), 1977 में दिए गए तर्क को बरकरार रखा गया था कि सभी नज़ी संपत्तियों को पुनर्वितरण हेतु "समुदाय के भौतिक संसाधन" माना जा सकता है।
  - एकमात्र असहमति जताने वाले न्यायमूर्त सिद्धांशु धूलिया ने समुदाय के "भौतिक संसाधनों" को परभाषित करने में व्यापक वधायी वविकाधिकार की वकालत की।

- **अनुच्छेद 39(b)** पर प्रतर्बिंध: न्यायालय ने **अनुच्छेद 39(b)** की व्यापक व्याख्या के प्रतर्बिंध कथि, जसिसे **अनुच्छेद 300A** के तहत संपत्तर्के अधकृर पर प्रतर्कूल प्ररभरव हूग।
  - **अनुच्छेद 300A:** कसिी भी वृकृतर्को कानून के प्ररधकृर के बनि उसकी संपत्तर्से वंचति नही कथि जररग।
- **नजी संसधनों को सलुदरयक संसधनों में बदलनर:** **सरवूच नृररलय** ने नजी संसधनों को सलुदरयक भूतक संसधनों में बदलने के **पूँच तर्के** बतरर हैं:
  - ररषृरीयकरण, अधगृरण, वधकृ कृरधरनवन, ररजृ दररर खरीद और संपत्तर्के मरलकृ दररर दन।

## संपत्तर्के अधकृर से संबधति संवैधरनकृ प्रररवधरन कृर हैं?

- **अनुच्छेद 31:** अनुच्छेद 31 (एक मूल अधकृर) **संपत्तर्के अधकृर** से संबधति थर, लेकनि इसे नररसृत कर दथि गथर (**44वें संशूधन अधनरथि, 1978**) और **अनुच्छेद 300A (संवैधरनकृ अधकृर)** दररर प्रतर्सथरपति कथि गथर।
  - **प्रथम संशूधन अधनरथि, 1951:** प्रथम संशूधन अधनरथि, 1951 दररर संवधरन में **अनुच्छेद 31A और 31B** के सध -सध **नूवी अनुसूची** भी शरमलि की गई।
  - **अनुच्छेद 31A:** इसने ररजृ को मूल अधकृरों के सध असंगतर्के आधर पर चुनूती दथि बनि संपत्तर् अरृजति करने थर संपत्तर् में अधकृर में परवररतन की शकृतर् प्रदरन की।
  - **अनुच्छेद 31B:** यह सुनशृचति करतर है कृ नूवी अनुसूची में शरमलि कानूनों को रदद नही कथि जर सकेग, भले ही वे मूल अधकृरों के वरुदध हूँ।
  - **नूवी अनुसूची:** इसमें केंदरीय और ररजृ कानूनों की सूची शरमलि है जनिहें नृररलयों में चुनूती नही दी जर सकती। जैसेभूमृ सुधर कानून।
- **25वू संशूधन अधनरथि, 1971:** इसने **अनुच्छेद 39(B) एवं (C)** के तहत संसधन वतररण के उददेश्य से ररजृ के कानूनों को संवैधरनकृ चुनूतर्थी से बचरने के लथि **अनुच्छेद 31C** जूडर गथर।
  - संशूधन ने **अदरलतू को** ररजृ के कृर्यों की समीकृषर करने से रूक दथि, भले ही वे **मनमरने थर तरकहीन हूँ**।
- **42वू संशूधन अधनरथि, 1976:** इसने सभी **नरदृशक तततवूँ** को शरमलि करने के लथि **अनुच्छेद 31C** के दरररे कर **वसृतर कथि**।
  - यह प्रररवधरन वूग्य कानूनों को **अनुच्छेद 14 एवं 19** के तहत नररसृत होने से बचतर है थदथि वरसृतव में संसधन पुनररवतररण के मरधृम से सरररवजनकृ कलृरगण सुनशृचति करते हैं।
- **44वू संशूधन अधनरथि, 1978:** **अनुच्छेद 19(1)(f)** और **अनुच्छेद 31**, जू संपत्तर् अरृजति एवं धरण करने के सध-सध नृपटरन करने के अधकृर की रकृषर करते थे, को नररसृत कर दथि गथर, जसकृ अरृथ है कृ इसने संपत्तर्के अधकृर को मूल अधकृरों की सूची से हटर दथि।
  - **भरग XII के अधृरर IV** में **अनुच्छेद 300A** के अंतर्गत संपत्तर् एक **संवैधरनकृ अधकृर** के रूड में सथरपति हूर।

## संपत्तर्के अधकृर से संबधति नृररयकृ वृररखृर कृर हैं?

- **1951:** सरवूच नृररलय ने प्रथम संशूधन अधनरथि, 1951 को बरकरर ररखर, जसिमें **अनुच्छेद 368** के तहत संवधरन में संशूधन करने के लथि **संसदीय वशृषरधकृर** की पुषृटकी गई और सध ही यह नरृणय दथि गथर कृ भूलकृ अधकृरों को प्ररभरवति करने वरले संशूधन **अनुच्छेद 13(2)** दररर प्रतर्बिंधति नही हैं।
  - **अनुच्छेद 13(2) नृररयकृ समीकृषर** कृ प्रररवधरन करतर है जू भूलकृ अधकृरों के सध टकररव करने वरले कानूनों को अमरनृ घूषति करने में सहररथर प्रदरन करतर है।
- **1954:** सरवूच नृररलय ने नरृणय दथि कृ **अनवरररय संपत्तर् अधगृरण** के मरमलूँ में सरकरर को **उचति मुआवजू** प्रदरन करनर आवशृक है।
- **1973:** सरवूच नृररलय ने स्पूषृट कथि कृ **संवैधरनकृ संशूधन अनुच्छेद 13(2)** के प्रतर्बिंधूँ के अधीन नही हैं, जसकृ अरृथ है कृ **संसद**, संवधरन में संशूधन कर सकती है, जसिमें **संपत्तर्के अधकृर** से संबधति प्रररवधरनों में परवररतन करनर थर समरपृत करनर शरमलि है।
- **1980:** सभी नरदृशक सदृधरंतूँ को शरमलि करने के लथि **अनुच्छेद 31C** के दरररे कर **वसृतर** करने को सरवूच नृररलय दररर खररजि कर दथि गथर।
- **सरवूच नृररलय ने अनुच्छेद 31C की नृररयकृ जूँच** को रूकने वरले प्रररवधरनों को भी नररसृत कर दथि, परणरमसृवरूड संवैधरनकृ **जूँच और संतुलन के सदृधरंतूँ** को बल मलि।
- **1981:** यह मरनर गथर कृ केशवरनंद भररती मरमले से पहले **नूवी अनुसूची में संवैधरनकृ संशूधन और कानून** नृररयकृ चुनूती से संरकृषति हैं।
  - हरलूँकृ, इन मरमलूँ के बरद जूडे गए संशूधन **मूल संररचनर सदृधरंतूँ** के आधर पर नृररयकृ समीकृषर के अधीन हैं।
- **2020:** सरवूच नृररलय ने मरनर कृ बनि उचति प्रकृरथि के कसिी वृकृतर्की नजी संपत्तर्को जबरन बेदखल करनर **मरनररधकृरों** और **अनुच्छेद 300A** के तहत संवैधरनकृ अधकृर दूनों कृ उल्लंघन है।

## सरवूच नृररलय के नरृणय कृर महत्तृव कृर हैं?

- **ररजृ एवं वृकृतृगित अधकृर:** यह ररजृ के हसृतकृषेड की संभरवनर को संरकृषति करतर है, जबकृ थह सृवीकरर करतर है कृ नजी संसधनों कृ अंधधुंध अधगृरण सृवीकररय नही है।

- **आर्थिक लोकतंत्र:** यह नरिणय डॉ.बी.आर.अंबेडकर के "आर्थिक लोकतंत्र" के दृष्टिकोण के अनुरूप है, जो यह सुनिश्चित करता है कि संविधान एक कठोर आर्थिक संरचना को नरिदेशति नहीं करता है, इस प्रकार लोगों की अपने सामाजिक एवं आर्थिक संगठन का नरिणय लेने की स्वतंत्रता को संरक्षति करता है।
- **लचीली/नमय व्याख्या:** इसमें इस बात पर बल दिया गया है कि अनुच्छेद 39(B) जैसे नरिदेशक सदिधांतों को इस तरह से करयान्वति किया जाना चाहिये जो वकिसशील सामाजिक और आर्थिक वास्तवकिताओं को प्रतबिबिति करे, न कि किसी एक कठोर आर्थिक सदिधांत को।
- **वधियाी ढाँचा:** यह नरिणय आर्थिक और कल्याणकारी नीतियों को आकार देने में नरिवाचति सरकारों और लोकतांत्रिक प्रकरया की भूमिका को पुष्ट करता है।
- **कल्याण:** भवषिय की कल्याणकारी नीतियाँ संभवतः सार्वजनिक कल्याण के लिये आवश्यक दुर्लभ, महत्त्वपूर्ण संसाधनों पर केंद्रति होंगी। राज्य प्रगतशील कराधान और सार्वजनिक योजनाओं जैसी अधिक लक्षति कल्याणकारी रणनीतियाँ अपना सकता है।

## संपत्ति पर राज्य के नरियंत्रण का प्रभाव क्या है?

- **सकारात्मक प्रभाव:**
  - **न्यायसंगत पुनर्रवतिरण:** हाशिए पर पड़े समूहों में संसाधनों का पुनर्रवतिरण करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है तथा धन असमानता को कम करता है।
  - **संसाधन प्रबंधन:** यह सुनिश्चित करता है कि भूमि, जल और खनजि जैसे संसाधनों का उपयोग स्थायी रूप से और सार्वजनिक लाभ के लिये किया जाए।
  - **लोक कल्याण संबंधी परियोजनाएँ:** सार्वजनिक उद्देश्यों के लिये भूमिया संपत्तिके अधगिरहण करके बुनियादी ढाँचे के वकिस, सवास्थ्य देखभाल और शकिस की सुवधि प्रदान करती हैं।
  - **कमज़ोर समूहों की सुरक्षा:** वंचति समुदायों को शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है।
- **नकारात्मक प्रभाव:**
  - **नजिी स्वामतिव पर सीमाएँ:** व्यक्तगित संपत्तिके अधिकारों को कम करती है, जिससे नजिी नविश एवं उद्यमशीलता को हतोत्साहति होने की संभावना होती है।
  - **प्रोत्साहन में कमी:** राज्य के प्रतबिंधों के कारण नजिी मालिकों में संपत्ति में सुधार या नविश करने हेतु प्रोत्साहन में कमी हो सकती है।
  - **आर्थिक स्थरिता:** अत्यधिक वनियमन या अत्यधिक नरियंत्रण बाज़ार-संचालति वकिस एवं नवाचार को बाधति कर सकता है।

## नषिकर्ष

2024 के नरिणय ने नजिी संपत्तिके अधगिरहण के लिये राज्य की शक्ति के बारे में महत्त्वपूर्ण मसाल कायम की है। यह सार्वजनिक उद्देश्य, मुआवज़ा और मामले-दर-मामले आकलन की आवश्यकता पर बल प्रदान करता है, और साथ ही व्यक्तगित संपत्तिके अधिकारों को सामान्य हति के साथ संतुलति भी करता है।

दृष्टि मुख्य परीक्षा प्रश्न:

प्रश्न: वभिनिन ऐतहिसकि मामलों में संपत्तिके अधिकार की न्यायकि व्याख्या पर चर्चा कीजिये।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQs)

2021

प्र. भारत में संपत्तिके अधिकार की क्या स्थति है? (2021)

- केवल नागरिकों के लिये उपलब्ध वधिकि अधिकार
- किसी भी व्यक्ता के लिये उपलब्ध वधिकि अधिकार
- केवल नागरिकों के लिये उपलब्ध मौलिक अधिकार
- न तो मौलिक अधिकार और न ही कानूनी अधिकार

उत्तर: (b)

2016

प्रश्न. कोहलियो केस में क्या अभनिरिधारति किया गया था? इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायकि पुनर्रवलोकन संविधान के बुनियादी अभलिकषणों में प्रमुख महत्त्व का है? (2016)

प्रश्न: कृषिविकास में भूमिसुधारों की भूमिका पर चर्चा कीजिये। भारत में भूमिसुधारों की सफलता के लिये उत्तरदायी कारकों की पहचान कीजिये। (2016)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/limit-on-private-property-acquisition>

